राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर–0141–2700246

एफ.4(1)( )पोषा / SHG/मबावि/2005/ 73737-74072 जयपुर, दिनांक 8.8.11

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त। (बांसवाडा को छोडकर)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त। (बांसवाडा को छोडकर)

विषय :– आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचड़ी, एवं नाश्ता के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– समसंख्य विभागीय आदेश कमांक 91907–92985 दिनांक–12.11.05, 81585–864 दिनांक–05.09.06 तथा 45943–46293 दिनांक–29.06.10 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के कम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–24.02.2009 व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक–22.04.09 के अनुसरण में आयुवर्ग 3–6 वर्ष के लाभान्वितों को सुबह का नाश्ता (Morning Snacks) उपलब्ध कराया जा रहा है।

आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वयं सहायता समूहों/मातृ समितियों/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गरम पौष्टिक पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) एवं नाश्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है।

आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के लाभान्वितों को वितरित किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ते में खिचड़ी, दलिया, इसी प्रकार ऐसी चयनित परियोजनाएं जहां विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत बेबी मिक्स (R.T.E.) महिला स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त किया जा रहा है उन परियोजनाओं में नाश्ते के लिए (A) चावल के मुरमुरे व भुने चने गुड़ के साथ (B) भुने चने गुड़ के साथ एवं (C) हलवा उक्त तीन विकल्प निर्धारित हैं। उक्त गरम पूरक पोषाहार की मात्रा, अवयव, दर का उल्लेख पूर्व में जारी विभागीय आदेशों किया जा चुका है।

विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों/मातृ समितियों को अनुज्ञा–पत्र (Licence) प्राप्त करने तथा इनसे प्राप्त किये जा रहे पूरक पोषाहार के उत्पादन, भण्डारण एवं वितरण तथा पोषाहार के पैकिंग पाउच पर पोषाहार के अंशों (Ingredients) का अंकन (Printing) कराते हुए पी.एफ.ए.एक्ट–1954 के प्रावधानों की पालना कराये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। यह जानकारी में आया है कि अभी तक अनुज्ञा–पत्र (Licence) प्राप्त नहीं किये गये हैं। इसी कम में निर्देश दिये जाते हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सम्बन्धित महिला स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों/मातृ समितियों को अनुज्ञा–पत्र (Licence) दिलवाने हेतु इनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर/भरवाकर यदि इन संस्थाओं का कार्य क्षेत्र शहरी हो तो उन्हें नगर परिषद/नगर पालिका को तथा ग्रामीण क्षेत्र हो तो जिले के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इकजाई रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि इन्हें अनुज्ञा–पत्र (Licence) प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं आवे। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता की व्यवस्था के लिए पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि सर्वप्रथम महिला स्वयं सहायता समूहों से यह कार्य करवाया जावे, उनके असफल अथवा अनुपलब्धता होने पर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों/मातृ समितियों से द्वितीय एवं तृतीय विकल्प के रूप में यह कार्य करवाया जा सकता है। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के असफल अथवा अनुपलब्धता होने पर महिला स्वयं सहायता समूहों/मातृ समितियों से यह कार्य करवाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों के चलते उक्त तीनों एजेन्सियों से गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता प्राप्त किये जाने में कोई व्यवधान आ रहा हो तो इस श्रेणी के लाभान्वितों के लिए विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था में प्राप्त किये जा रहे आर.टी.ई. बेबी मिक्स पूरक पोषाहार का वितरण किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था एक महीने के लिए हो सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में लाभान्वितों को पूरक पोषाहार निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जाना है। अतः परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ते के वितरण की व्यवस्था के सर्वोत्तम प्रयास करें। किसी भी परिस्थिति में आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चे गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता के लाभ से वंचित नहीं रहने चाहिए।

स्वीकृत 26 नवीन बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा क्षेत्राधिकार बदलने से जो आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र इन परियोजनाओं में शामिल किये गये हैं उन पर गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता की व्यवस्था महिला स्वयं सहायता समूहों/मातृ समितियों/महिला सहकारी समितियों से विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जावे। कृपया उक्त निर्देशों की ठोस अनुपालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता की व्यवस्था के लिए समय–समय पर जारी किये गये अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे। उक्त निर्देशों की प्रति समस्त महिला/पुरूष पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई जावे।

निदेशक एवं उप शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/SHG/मबावि/2005/74073-74122 जयपुर, दिनांक 8.8.11

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1 विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4 निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
5 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
6 निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद................................
8 मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
9 समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
10 यूनीसेफ–राजस्थान, जयपुर।
11 प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रशाखा को बेबसाईट पर लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)